न्यायालय यशवन्त भाकर, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 9/2018

भवरी पुत्री कुशालाराम पत्नि पूर्णदास जाति भील निवासी चारणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

1 सुरजादेवी पत्नि चन्दूराम जाति भील निवासी ग्रंधी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2 राजुराम
3 केवलराम
4 संतु
5 सोनी
6 मघा
7 टिबू
8 जेठी
9 तुलछी
10 पुष्पा
पिसरान चन्दुराम जाति भील निवासी ग्रंधी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
11 राजस्थान राज्य जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट।
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण संख्या 3 (रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 2 एवं 4 से 10 एकपक्षीय कार्यवाही)
3. पेरोकार राज राज्य की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 30–10–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन विद्वान उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–2 की आज्ञा दिनांक 20–8–2009 से व्यथित होकर के प्रस्तुत की गई है जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 767 स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने तथा अपील मंजूर करने बाबत।

2 संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि इंतकाल सं0 767 दिनांक 20.8.2009 ग्राम गिरान्धी अपीलांटा व अन्य रेस्पोडेन्ट के सबूत व सुनवाई प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर इकतरफा तौर पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

3 अपीलांट के पिता कुशलाराम पुत्र सिरदाराराम जाति भील निवासी ग्रांधी के नाम से खसरा नम्बर 40 तादादी 29 बीघा ख0न0 55 तादादी 21 बीघा 16 बिस्वा ,ख0न0 188 तादादी 1 बीघा 1 बिस्वा , ख0न0 189 तादादी 1 बीघा , ख0न0 190/1 तादादी 15 बीघा 5 बिस्वा , ख0न0 40/746/1 की 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 70 बीघा 3 बिस्वा पुश्तैनी चली आ रही है । जिसमे अपीलान्टा का शेष रेस्पाडेन्ट के साथ

जन्म से ही हक व अधिकारी तथा हिस्सा निहित है।अपीलान्टा अनपढ ,खेती पेशा महिला है , अपीलान्टा व शेष रेस्पोडेन्टस जो कि अपीलान्ट के भाई ने चतुराई पूर्वक अपने नाम से इन्तकाल स्वीकृत करवा लिया तथा दिनांक 29.06.2009 को अपीलान्टा के भतीजो ने जो चन्दुराम के जायज वारिसान है , टिबू के नाम विरासतन दर्ज जमीन का रिलीज डीड अपने हक मे निष्पादित करवाके इन्तकाल स0 767 दिनांक 20.8.2009 को स्वीकृत करवा लिया । जो कि विरासतन व रिलिज डीड दिनांक 29.06.2009 के आधार पर दर्ज किया गया जबकि कानूनन रिलीज डीड द्वारा किसी पक्षकार द्वारा हकत्याग करने पर शेष सह काश्तकार उस भूमि के मालिक व काबिज होते है। कोई एक व्यक्ति विशेष रिलीज डीड के आधार पर मालिक नही बन सकता इसलिये आदेश जैर अपील एबनिशियो वोईड होने के कारण निरस्त किये जान योग्य है।

4 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल स्वीकृत करते समय ना तो अपीलांटा के पिता के वारिसो की सही जांच की गई न ही कोई वारिस प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र इंतकाल के साथ संलग्न किया गया हैं। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 6 को फायदा पहुंचाने की गरज से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सांठ गांठ करके आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

5 आदेश जैर अपील मे वर्णित भूमि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि होने के कारण उसका जन्म से ही हक व हिस्सा अन्य रेस्पोडेन्ट के साथ चला आ रहा हैं, आदेश जैर अपील के बारे मे अपीलांट को पूर्व मे कोई जानकारी नही थीं। सर्वप्रथम दिनांक 20.2.18 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर नकल लेने पर आदेश जारी अपील के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार अपील आज इल्म के दिन से अंदर मियाद प्रस्तुत हैं जानकारी के अभाव मे देरी हुई हैं, जो माफी योग्य हैं तथा एबइनिशियों वोईड आदेश पर मियाद लागू नही होती हैं इसलिए अपील अंदर मियाद शुमार हों।

6 लिहाजा अपील अपीलांटा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाकर अपील अपीलांटा मंजूर फरमाई जावे।

7 प्रस्तुत अपील मे पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांटा की ओर से श्री राधाकिशन स्वामी एडवोकेट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से श्री दिनेश गहलोत एडवोकेट तथा राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुवे। रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 2 एवं 4 से 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

8 मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्को को सुना है एवं उन पर विचारण किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद बिन्दु पर निर्णय दिया जाता है, कि प्रस्तुत

अपील उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–2 की आज्ञा दिनांक 20.8.2009 के विरुद्ध इस न्यायालय मे दिनांक 12–3–2018 को प्रस्तुत की गई है जो करीब 9 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गई है जबकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने की 30 दिवस की अवधि कानून में निर्धारित कर रखी है। इससे स्पष्ट है कि अपील समय–सीमा से बाधित है। पेराकार राज ने अपील मियाद बाहर होने के कारण इसी बिन्दु पर अपील खारिज करने का निवेदन किया । अपीलान्टा की ओर से दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसमें देरी के कारणों को लिखा है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट स03 के द्वारा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आपत्ति व्यक्त की गई प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया प्रकरण में जायज वारिसान के हक हकूक से वंचित करने के सम्बन्ध मे मुख्य तथ्य है । जिसके लिये मियाद सीमा लागू नही होती ऐसी स्थिति में दफा 5 मियाद कानून का फायदा उठाने के अपीलार्थी अधिकारी हो जाते है और इस आधार पर दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रथम जानकारी के आधार पर मियाद के भीतर प्रस्तुत होनी घोषित की जाती है।

वकील अपीलान्टा द्वारा फार्म न. 3 के साथ में जमाबन्दी वर्तमान , कुर्सिनामा पटवारी हल्का गिरान्धी मय ग्राम पंचायत व गवाहान तथा मतदाता परिचय पत्र भवरी का पेश किया गया है तथा अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दौरान बहस दोहराया। रेस्पोडन्ट के अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अपीलान्टा क्लीन हेण्ड नही आयी है अपीलान्टा को जैर अपील की जानकारी पहले से थी इस इन्तकाल मे उसकी पूर्व सहमति रही है तथा अपीलान्ट इन्तकाल मे पक्षकार नही रही है अतः धारा 96 का के अन्तर्गत अपील दायर करने का प्रस्तुत नही किया गया है न ही जायज वारिसान का उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । अपीलान्टा के अभिभाषक के द्वारा फार्म न0 3 के साथ पटवारी हल्का व सरंपच व गवाहान के दस्तावेज प्रस्तुत मे अन्य वारिसान भी बताये गये है जिनका जैर अपील इन्तकाल स0 767 दिनांक 20.8.2009 मे श्री कुशालाराम के जायज वारिसान के नाम दर्ज नही है। जिससे जैर अपीलाधीन आदेश दुषित हो जाता है। अपील स्वीकार योग्य हो जाती है।

9 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल स0 767 दिनांक 20.8.2009 निरस्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किये जाते है कि उभय पक्ष साक्ष्य सबूत व सुनवायी समुचित अवसर प्रदान कर जायज वारिसान की जांच कर आदेश पारित करे । निर्णय की एक प्रति उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

10 निर्णय आज दिनांक 30–10–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(यशवन्त भाकर)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर